



Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission

Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492 001 (C.G.) Ph.0771-4073568, Fax: 4073553

Website: www.cserc.gov.in, E-mail: cserc.sec.cg@nic.in;



NOTICE FOR PUBLIC HEARING

M/s Jindal Steel and Power Limited (JSPL-D) has filed petition for approval of Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2023-24, determination of retail tariff for FY 2023-24 along with revised estimate of FY 2022-23 and True-up of FY 2021-22 for its licensed distribution business under section 61, 62 & 86(1)(a) of the Electricity Act, 2003. The petition is registered as petition No.15/2023. The gist of the petitions was published on 10/02/2023 in the newspapers to invite objections/suggestions.

Above petition and additional information submitted by JSPL-D, are available on the Commission's website: www.cserc.gov.in. The Commission has already conducted a public hearing on above petition on 29/08/2023. On request of some consumers of JSPL-D, the Commission fixed further a public hearing on aforesaid petition on **21/09/2023 at 11:30 a.m.** in the Commission's office

//Save Electricity//

SECRETARY

SIZE 7X9



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर-492001

दूरभाष क्र.-0771-4073568 फ़ैक्स: 4073553



जन-सुनवाई हेतु सूचना

मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि. (जेएसपीएल-डी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुनरिक्षित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण, वर्ष 2023-24 हेतु खुदरा दर, वित्तीय वर्ष 2022-23 का संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2021-22 के टू-अप हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62, 86(1)(a) के अंतर्गत आयोग के समक्ष दायर की है। यह याचिका, याचिका क्र. 15/2023 के रूप में पंजीकृत की गई है। उक्त याचिका पर आपत्ति/सुझाव हेतु दिनांक 10/02/2023 के समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई थी।

उक्त याचिका एवं जेएसपीएल-डी द्वारा प्रस्तुत अन्य अतिरिक्त जानकारी आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा उक्त याचिका पर दिनांक 29/08/2023 को जन सुनवाई की जा चुकी है। तथापि कुछ उपभोक्ताओं के निवेदन पर आयोग द्वारा उक्त याचिका पर दिनांक **21/09/2023** को प्रातः **11:30 बजे** आयोग के कार्यालय में पुनः जन-सुनवाई नियत की गई है।

स्वहित एवं राष्ट्रहित में उर्जा बचाएँ

सचिव

SIZE 7X8